(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART 1, SECTION1)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NEW DELHI, DATED-23rd June, 2017

ADDENDUM

Subject :- Marketing including pricing freedom for the gas to be produced from Discoveries in Deepwater, Ultra Deepwater and High Pressure-High Temperature areas.

In continuation to this Ministry's Gazette Notification No. O-22013/27/2012-ONG-D-V (Vol-II) dated 21st March, 2016, the following methodology would be adopted for discovering the market price subject to the ceiling prescribed in the above notification:-

While discovering the market price for arms-length sales, the Contractor has to ensure a transparent and competitive process for sale of natural gas with the objective that the best possible price is realized, to the benefit of all parties to this Contract, without any restrictive commercial practices. An advertisement/Notice Inviting Tender (NIT)/e-Tender should be notified widely by the Contractor, in at least one local language daily newspaper and one English language national daily news paper and other suitable electronic media, mentioning inter-alia the quality and quantity of gas available for sale. Detailed information on the evaluation criteria to be used along with broad salient features of sale agreement to be executed by the buyer shall also be made known and at least 15 days time is to be allowed to ensure maximum participation of all likely buyers in this process. The information regarding the final agreement reached with the buyer would be posted on the Contractor's/ Operator's website and also communicated to DGH/Government.

23.06.2017

(Amar Nath)
Joint Secretary to the Government of India
Tel No. 23381832

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 2017

अनुशेष

विषय : गहरे समुद्र, अत्यंत गहरे समुद्र और उच्च दाब-उच्च तापमान क्षेत्रों की खोजों से उत्पादित की जाने वाली गैस के मूल्य-निर्धारण की स्वतंत्रता सहित विपणन

इस मंत्रालय की दिनांक 21 मार्च, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या ओ-22013/27/2012-ओएनजी-डी-V (खंड-II) के अनुसरण में, बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जाएगी, बशर्ते वह मूल्य उक्त अधिसूचना में निर्धारित सीमा से अधिक ना हो:-

आर्म्स-लेंथ विक्रयों के संबंध में बाजार मूल्य निर्धारित करते समय, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संविदा के सभी पक्षकारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्राकृतिक गैस की बिक्री एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, इस उद्देश्य के साथ की गई है कि उचित मूल्य प्राप्त हुआ है। संविदाकार द्वारा मोटे तौर पर कम से कम एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार-पत्र और राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्र में और अन्य उपयुक्त इलैक्ट्रानिक मीडिया में एक विज्ञापन/ निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/ ई-निविदा प्रकाशित करनी होगी जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री के लिए उपलब्ध गैस की गुणवत्ता और मात्रा का उल्लेख हो। क्रेता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बिक्री करार की मुख्य बातों के साथ-साथ अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंड की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रक्रिया में सभी संभावित क्रेताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। क्रेता के साथ किए जाने वाले अंतिम करार से संबंधित सूचना संविदाकार/प्रचालक की वेबसाइट पर डाली जाएगी और इसकी सूचना डीजीएच और सरकार को भी दी जाएगी।

(अमर नाथ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नम्बर - 23381832